

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफ़ी योजना :-


आधार कार्ड विशेष
लिए जाये ।

सीडिंग के
अभियान

दिनांक 08.01.2019
से 05.02.2019 तक

जिला कलेक्टर
ग्रामवार दिवस
द्वारा नियत
किये जावें ।

दिनांक 15.01.2019
से 05.02.2019 तक



- पात्र किसानों की हरी सूची एवं गैर आधार सीडेंड की सफ़ेद सूची पोर्टल से प्राप्त कर चरपा की जावे ।
- पोर्टल पर समस्त आवश्यक जानकारी अपलोड किया जाना।
- हरी/सफ़ेद सूची के किसानो को हरे/सफ़ेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/नगरी निकाय कार्यालय में offline प्राप्त किये जावें ।
- गुलाबी (दावा आपत्ति एवं हरी/सफ़ेद सूची के अलावा)आवेदन पत्र ग्राम पंचायतों में जमा करने होंगे ।
- ग्राम पंचायत के सचिव/ ग्राम रोजगार सहायक /वर्ग -3 से अनिम्न स्तर का शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्तव्यस्थ किया जावे ,जो 05.02.2019 तक हरे ,सफ़ेद , गुलाबी फॉर्म एकत्र करे ।
- नोडल कर्मचारी द्वारा प्रामाणिकरण एवं पावती जारी करना ।


दिनांक

26.01.2019 से




- 26.01.2019 को ग्राम सभा का आयोजन आवेदकों की सूची पढ़ी जाना (जिन्होंने आवेदन दिनांक 25.01.2019 तक न जमा किया हो उनका नाम भी पढ़ा जावे)

दिनांक 27.01.2019 से
10.02.2019 तक




- हरी सफ़ेद सूची के शेष नाम जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है उनसे आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करना ।
- आवेदन पत्रों की डाटा एंट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जाना ।
- जिला कलेक्टर को हार्डवेयर मैनपावर की व्यवस्था करनी होगी ।
- Sms से किसानों को सूचना प्राप्त किया जाना जानकारी अपलोड होने के उपरांत ।
- गलावी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर जिला कलेक्टर द्वारा बैंक शाखा /समिति को प्रेषित किया जावे ,जहाँ बैंक शाखा द्वारा अपने अभिलेखों से पुष्टि की जावेगी ।
- दावा आपत्ति सही होने पर पोर्टल की जानकारी को बैंक शाखा द्वारा सुधार ।

दिनांक 05.02.2019 से
10.02.2019 तक



- पोर्टल की जानकारी बैंकों को ऑनलाइन accessible होगी | ऋण खाते की जानकारी का सत्यापन एवं आधार कार्ड प्रमाणीकरण |
- सहकारी बैंक के ऋण खाते का आधार अभिप्रमाणन MAP IT के द्वारा अधिकृत AUA(authentication user agency) द्वारा कराई जावे।
- पोर्टल पर प्रावधिक दावा डिस्प्ले होंगे , इससे सभी बैंक शाखा /संमिति को ऐसे दावों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा उनके द्वारा ऐसे प्रावधिक दावे पर आपत्ति की जा सकेगी |

दिनांक 10.02.2019 से
17.02.2019 तक



- बैंक शाखा /समित्ति इन् 7 दिवसों के अन्दर पोर्टल पर प्रावधिक दावा पर आपत्ति दर्ज करने की व्यवस्था ।
- ऐसे खाते जिन्में हरी सफ़ेद सूची के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त, आधार अभिप्रमाणन तथा प्रावधिक दावा पर आपत्ति प्राप्त नहीं, उन्हें DLCC के समक्ष परिक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जावेगा ।

दिनांक 18.02.2019 से 20.02.2019 तक




- DICC के देख रेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणिकरण एवं आपत्तियों का निराकरण ।
- प्रथम चरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता ।

दिनांक 21.02.2019



- कलेक्टर द्वारा भुगतान क लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास से आवंटन की मांग ।
- गलावी आवेदन पत्र की दावा आपत्ति मान्य होने पर अपलोड किये जाने का आर्षन वैक शायर को प्रदान किया जावे ।

दिनांक 22.02.2019 से लगातार



- खाते में DBT(RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जिलास्तर पर जमा कराया जाना ।
- किसान को भुगतान का sms प्राप्त ।
- ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।
- ऋण पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से चुकाने वाले किसान को "किसान सम्मान पत्र" प्रदाय किया जावे । प्रमाण/सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा किया जावे ।
- लाभान्वित किसानों की सूची बैंक शाखा / ग्राम पंचायत में चस्पा की जावे ।